बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-305/2015 - 4382 /पटना, दिनांक- 28.6.17

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय :प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में स्वीकृत दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के पैकेज संख्या BR-10R-023- कुम्हरौली (अहिल्या स्थान) से रही टोला पथ (लम्बाई–3.737 कि०मी०) का निर्माण एवं अनुरक्षण सहित पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹258.00 लाख (दो करोड़ अट्ठावन लाख रूपये) मात्र है, पर पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 मे स्वीकृत बिहार राज्य के **दरभंगा जिला के जाले प्रखंड** में पत्रांक–489 अनु0, दिनांक–27.02.2009 से प्राप्त प्रशासनिक अनुमोदन, **पैकेज संख्या BR-10R-023- कुम्हरौली (अहिल्या स्थान) से रही टोला** पथ के प्राक्कलन को अद्यतन दर पर पुनरीक्षण किया गया है। यह पुनरीक्षण ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–4168, दिनांक–22.06.09 के आलोक मे किया गया है। पुनरीक्षण के पश्चात बढी हुई अतिरिक्त राशि का व्यय राज्य बजट से किया जाना है। उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत्यादेशों के अनुसार पूर्व मे प्रदत्त कुल **₹195.21** लाख की प्रशासनिक स्वीकृति को उत्क्रमित करते हुए निर्माण तथा अनुरक्षण सहित कुल **₹258.00 लाख** (दो करोड़ अट्ठावन लाख रूपये) मात्र की राशि के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

2. इस योजना की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गयी है–

(क) यह सुनिश्चित किया जाये कि पथ मे Cross Drainage Structure की पर्याप्त व्यवस्था हो।

(ख) योजना के लिए कार्यपालक अभियंता से विस्तृत कार्य योजना मांगी जाये और उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाये।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्गदर्शिका मे निहित प्रावधानों के अनुरूप हो।

3. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मानक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

4. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

Scanned with CamScanner

5. वर्ष 2008–09 में स्वीकृति प्राप्त यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के दिशा–निर्देश के आलोक में किया जाना है। स्वीकृति के समय इसका शत–प्रतिशत वित्तीय सम्पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाना था। परन्तु वित्तीय वर्ष 2015–16 से परिवर्तित वित्तीय सम्पोषण की व्यवस्था के आधार पर अवशेष राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा 60 : 40 के अनुपात में भारित होगी।

राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में सकल्प संख्या–4168, दिनांक–22.06.2009 के माध्यम से लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण मूल स्वीकृत राशि के अतिरिक्त लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी राज्य योजना मद 4515 में विभाग को स्वीकृत उदव्यय एवं आवंटन से वहन किया जाएगा।

6. पथ निर्माण के लिये मूल स्वीकृत राशि ₹195.21 लाख (निर्माण कार्य हेतु) के विरूद्ध मार्च 2015 तक (एकरारनामा विखंडन से पूर्व) निर्माण कार्य में ₹134.28 लाख का व्यय किया जाना प्रतिवेदित है। शेष राशि ₹60.93 लाख के 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में सकल्प संख्या–4168, दिनांक– 22.06.2009 के माध्यम से लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण मूल स्वीकृत राशि के अतिरिक्त लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी राज्य योजना मद 4515 में विभाग को स्वीकृत उदव्यय एवं आवंटन से वहन किया जाएगा।

7. वित्त विभाग के सकल्प संख्या–2199/वि0, दिनांक–24.03.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

8. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कार्यान्वयन अंतराल पर निर्धारित निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि निरीक्षण विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित चरणवार अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. संबंधित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग विहित प्रपत्रों एवं अन्तराल पर योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

11. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-PMGSY 305/2015, दिनांक–26 मई 2017 को संचिका के पृ0–23/टि0 पर प्राप्त है।

12. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– एवं– 4–45/94–301वि (2), दिनांक–31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090वि (2), दिनांक 15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम–4–53/2007–96 वि०(2), दिनांक 03.01.2008, के प्रावधानों एवं वित्त नियामावली, खण्ड–1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। वित्त विभाग के पत्रांक एम–4–53/2007–2199वि0, दिनांक–24.03.2017 एवं ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या–मु0अ0–4–PMGSY-5-17/09-4168, दिनाक–22.06.09 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-PMGSY-305/2015 के पृ0–25/टि0 पर दिनांक–13-06-2017 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

27/6

(संजय कुमार)

अपर सचिव

Scanned with CamScanner